

## भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, आगरा द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के अन्तर्गत आगरा में एन०एच०-2 से एन०एच०-3 को जोड़ने हेतु रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बॉईपास) पर ईदगाह-बयाना रेल सेक्शन के कि०मी० 73/7-8 पर स्थित सम्पार संख्या-68बी/2ई पर 04 रेल उपरिगामी के निर्माण हेतु 0.0730 हे० संरक्षित वन भूमि (आगरा टर्मिनल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर के मील 11 पर) गैर वानिकी प्रयोग एवं 15 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**Proposal No. - 123673/2021**

|     |                                                                                                                                                                                                 |                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 14. | स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | नहीं                                           |
| 15. | क्या सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा दी गई सूचना से सहमत हैं।                                                                                                                                    | सहमत                                           |
| 16. | प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें -                                                                                    | प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। |

दिनांक : 31-05-2022

स्थान : आगरा।

(राकेश चन्द्र)  
वन संरक्षक, वन संरक्षक,  
आगरा वृक्ष, आगरा।